उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

उप० / डाकी

07/10/24 पत्रावली पेश की / अवलोकित प्रकरण
पत्रावली में ... खारिज किया जाता है
बाद ड्राफ्ट पत्र को खारिज किया जाकर
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली पेश
पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली
सुमार दर्ज नम्बर बाद दैनिक पत्रावली
जमा रिकॉर्ड नम्बर में शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
14/2025	28.01.2025	07.10.2025

बउनवान

1. मुकेश कुमार
2. खगेन्द्र कुमार उर्फ सोनू पुत्रान श्री प्रेमनारायण जातियान ब्राहमण निवासीयान खोहरी मौहल्ला मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. सरोज देवी पत्नी दुर्गाप्रसाद
2. नीरज उर्फ टिल्लू
3. त्रिवेन्द्र उर्फ कोनी पुत्रान श्री दुर्गाप्रसाद जातियान ब्राहमण निवासीयान काजीवाडा मौहल्ला मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. बबल उर्फ बबली पुत्री श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी काजीवाडा मौहल्ला मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 पत्नी अमित कुमार शर्मा हाल निवासी सिरयानी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड राज0।
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. श्रीमान उपपंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: अप्रार्थीगण

श्री रामावतार चौधरी —: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री अशोक चौधरी —: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि
   1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थीगण ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे मिन प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 773/1.21 है0, 774/1.34 है0, 775/1.19 है0, 776/0.62 है0, 777/0.01 है0, 778/0.32 है0, 779/0.43 है0, 799/0.32 हैव0, 801/0.01 हैक0, 802/0.05 है0, 803/0.41 है०, कुल किता 11 कुल रकबा 5.91 हैक0, व ख० नं0 800/0.03 है० वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर में स्थित है जो मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।
4. यह है कि उक्त खसरा नम्बरान के तरफ दक्षिण ख० नं० 796 सडक से लगता हुआ प्रार्थीगण की आराजी तक आग रास्ता है।
5. यह है कि अप्रार्थीगण के पिता/पति दुर्गाप्रसाद के नाम से उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है।
6. यह है कि आराजी ख० नं0 796 के आम रास्ता से आगे पश्चिमी डोल ख० नं0 799/0.32 है0, 800/0.03 है0, 801/0.01 है0, 802/0.05 है०, लगते है जिन पर अप्रार्थीगण का कब्जा है।
7. यह है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में फसल की बुवाई जुताई और मोटर को बहार निकालने व डालने लिये टैक्टर लाने ले जाने में परेशानी होती है क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से रंजिश रखते है और टैक्टर आने जाने नहीं देते हैं।
8. यह है कि ख० नं0 796, 798 आम रास्ता है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजी ख० नं0 799/0.32 हैक0, 800/0.03 है0, 801/0.01 है0, 802/0.05 है०, से लगता हुआ 18 फुट चौडा रास्ता पश्चिमी डोल से उत्तर की डोल तक व उत्तर की डोल से लगते हुये पूर्व की तरफ अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये दिलाया जाकर रास्ता कायम किया जावे।
9. यह है कि मिन प्रार्थीगण की आराजी में काश्त हेतू आने जाने हेतू इससे नजदीक भी अन्य रास्ता नहीं है।
10. यह है कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि के बेचान का सौदा किसी दिगर व्यक्ति से करना चाहते है इस सूरत में हम पक्षकारान में मुकदमें बाजी बढेगी तथा अन्य खरीददारों के खिलाफ मुकदमेबाजी करनी होगी इसलिये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे इस प्रार्थना पत्र में निर्णय तक आंराजी का बेचान ना करे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

11. यह है कि मिन प्रार्थीगण उक्त रास्ता के बदले कानून सम्मत श्रीमान अदालत के आदेशानुसार कीमत तथा रास्ते में आने वाली जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है।
12. यह है कि मिन प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतू और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिये अप्रार्थीगण की आराजी में से मिन प्रार्थीगण की आराजी तक जाने के रास्ते को रिकोर्ड में कायम किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण आराजी ख० नं0 799/0.32 है0, 800/0.03 है0, 801/0.01 हैव0, 802/0.05 हैक्०, वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर में स्थित आराजी में से प्रार्थीगण के आवागमन करने में मजाहमत पैदा ना करे ना कोई निर्माण करे ना ही उक्त आराजी का बेचान करे राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे।

2. जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा०दी० व धारा 212 राज० काश्त० अधि० मिन अप्रार्थीगण स० 1 ल० 4 की और से निम्न प्रकार पेश है।
   1. यह है कि पैरा स० 1 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।
   2. यह है कि पैरा स० 2 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है. स्वीकार नहीं हैं प्रार्थी ने नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नहीं है। काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
   3. यह है कि पैरा स० 3 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि जिम्मन में वर्णीत आराजी प्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण की सामलाती आराजी नही नहीं है, बल्कि जिम्मन में वर्णीत आराजीयत के बाबत प्रार्थी स० 1 द्वारा अदालत श्रीमान के समक्ष तकासमा का एक वाद बअनुवान मुकेश बनाम दुर्गाप्रसाद मु० 34/2004 पेश किया था, जो वाद अदालत श्रीमान द्वारा दिनाक 15/9/2006 को डिकी फरमा दिया गया, जिस डिकी की अपील वादी व प्रतिवादी द्वारा आर ए ए अलवर में की गयी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

थी, दोनों ही अपीले आर ए ए द्वारा दिनांक 11/7/017 को खारीज कर दी गयी उसके बाद डिकी प्रभाव में आयी, प्रतिवादी के वारिसान द्वारा उक्त डिकी की पालना बाबत इजराय अदालत श्रीमान के समक्ष पेश की गयी, जिस डिकी में ख0न0 1483 रकबा 0.34 है०, ख0न0 1486 रकबा 0.61 है0, 1488 रकबा 0.43 हे०, ख0न0 1512 रकबा 0.42 है०, सालिम व ख0न0 1484 में से रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा तरफ उत्तर दिशा में तथा ख0न0 1509, 1510, 1511 में से 1/2 भाग प्रार्थी को दिये गये थे तथा ख0न0 1508 रकबा 0.32 हैक्0, 1487 रकबा 0.33 है0, 1485 रकबा 1.19 है०, सालिम व ख०न0 1484 रकबा 1.34 है0, मे से रकबा 1.02 है0, तथा ख0न0 1509, 1510, 1511 में से 1/2 भाग मिन अप्रार्थीगण के हिस्से आये थे। प्रतिवादी स० 1 ख0न0 1508 के पश्चिम दिशा में से 4 फुट तथा कीगण ख०न० 1508 के पश्चिमी की और से लगती हुई अपनी आराजी में से 4 फुट रास्ता के लिये छोडी व सहमति दी थी, लेकिन उक्त डिकी की अभी पालना नही हुयी है तथा वर्तमान में हाल सैटलमेंट आने के कारण, प्रार्थना पत्र में वर्णीत आराजीयत उक्त गत आराजीय से पैमूद हुयी है, इसलिए प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है. आराजी सामलाती नही होकर आराजी का विधिक तकासमा हो रहा है तथा प्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण अदालत श्रीमान द्वारा किये निर्णय के अनुसार आराजी पर काबिज काश्त है।

4. यह है कि पैरा स० 4 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि ख0न0 799 व ख0न0 803 के तरफ दक्षिण में एक आम रास्ता है तथा ख०न० 799 व ख०न० 803 के मध्य डोल के साथ दोनों आरांजीयत में से 4–4 फुट जगह लेकर 8 फुट चौडा रास्ता ख०न० 800, 801, 802 सामलाती तक कायम किया हुआ है, जो रास्ता मौके पर चालु है तथा प्रार्थीगण की आराजी सामलाती ख०न० 800, 801, 802 के साथ लगती हुयी है।
5. यह है कि पैरा सं० 5 सही है, स्वीकार है।
6. यह है कि पैरा स० 6 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। आम रास्ता ख0न0 796 के साथ ख0न0 799 व 803 लगते हुये है तथा उक्त ख0न0 799 व 803 के साथ तरफ दक्षिण में ख०न० 800, 801, 802 लगते हुये है, जो ख०न० प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण की सामलाती आराजी है।
7. यह है कि पैरा स० 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी की टूबेल ख०न० 803 में स्थित है, जो आम रास्ता ख0न0 798 से लगता हुआ है, जो चालू है, प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी का विधिक तकासमा हो चुका है तथा तकासमा के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अनुसार ख०न० 800. 801, 802 सामलाती रहे है तथा ख0न0 799 व 803 के मध्य.8 फुट चौडा रास्ता स्थित है, तथा रास्ता सामलाती आराजी ख०न० 800, 801, 802 तक जा रहा है तथा सामलाती आराजी के साथ ही प्रार्थीगण की आराजी लगती हुयी है, जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागन कर रहे है। प्रार्थीगण के आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई बाँधा पैदा नहीं हो रही है।

8. यह है कि पैरा स० 8 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं हैं प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि आम रास्ता ख0न0 796 व 798 के साथ स्थित ख०न० 803 जो प्रार्थी के पास है, ख०न० 800, 801, 802 तक जा रहा है, जो आराजी प्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण की सामलाती रही है तथा उक्त सामलाती आराजी के साथ प्रार्थीगण की आराजी स्थित है, इसलिए प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से आराजी ख0न0 799 व 800, 801, 802 में से कोई रास्ता 18 फुट पश्चिमी डोल से उत्तर की डोल तक व उत्तर की डोल से पूर्व की तरफ कायम़ कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।

9. यह है कि पैरा स० 9 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास आम रास्ता ख०न० 798 प्रार्थी की आराजी ख०न० 803 से लगता हुआ है, जो मौके पर चालू है.।

10. यह है कि पैरा स० 10 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है. स्वीकार नही है। आराजी का विधिक बंटवारा हो रहा है तथा प्रार्थीगण किसी भी काश्तकार को उसके हिस्से की आराजी को बेचान करने से नहीं रूकवा सकता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

11. यह है कि पैरा स० 11 गलत है, स्वीकार नही है। जब प्रार्थीगण के पास मौके पर रास्ता है तो प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता कायम कराने के अधिकारी नहीं है।

12. यह है कि पैरा स० 12 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास मौके पर आम. रास्ता ख0न0 998 है, जो रास्ता चालू है, इसलिए प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में से रास्ता कायम कराने के अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के पैरा स० 1 में आराजी सामलाती दर्ज की है, इसलिए प्रार्थीगण सामलाती आराजी में से किसी भी प्रकार से रास्ता कायम कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारीज है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

जायद

1. यह है कि वादी अदालत श्रीमान में शुद्धहस्त होकर नही आये है। वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो चलने योग्य नही होकर काबिल खारीज है।
2. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में तकासमा का वाद व उसकी डिकी की पूर्णतः जानकारी रही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
3. यह है कि पूर्व डिकी के अनुसार प्रार्थी की आराजी ख०न० 803 रकबा 0.41 हैक्0, है, जो आम रास्ता ख0न0 796, 798 से लगती हुयी है, इसलिए प्रार्थीगण को कोई रास्ता की आवश्यकता नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
4. यह है कि प्रार्थीगण सामलाती आराजी में से सहकाश्तकार से किसी भी प्रकार से धारा 251 ए में रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है, धारा 251 ए दिगर काश्तकार की आराजी में से रास्ता लेने हेतु प्रावधान है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
5. यह है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से दिली रंजिश रखते है, जिस कारण प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण के विरास्त का इन्तकाल रूकवाने के लिये रोज नये नये वाद लेकर आते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जायें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोल मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी का पक्ष
प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया कि उन्हें अपनी आराजी तक आवागमन हेतु रास्ता दिलाया जावे तथा अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के विक्रय अथवा निर्माण करने से अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका जावे।

प्रार्थीगण का कथन है कि उनकी आराजी खसरा नंबर 773 से 803 तक ग्राम गांधीनगर, तहसील मुण्डावर में स्थित है, जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सामलाती काश्त में है। उक्त आराजीयत के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 796 से आम रास्ता गुजरता है, जो उनके खेत तक जाता है, किंतु अप्रार्थीगण रंजिशवश ट्रैक्टर अथवा अन्य वाहन को उस रास्ते से आने–जाने नहीं देते हैं। अतः खसरा नं. 799, 800, 801 एवं 802 से 18 फुट चौड़ा रास्ता कायम करने की प्रार्थना की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति से करना चाहते हैं, अतः उन्हें पाबंद किया जाए कि वे निर्णय तक भूमि का विक्रय न करें।

अप्रार्थीगण का पक्ष

अप्रार्थीगण द्वारा दायर जवाब में प्रार्थी के दावे को पूर्णतः अस्वीकार किया गया। उनका कथन है कि —

1. प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
2. संबंधित भूमि के संबंध में पूर्व में वाद संख्या 34/2004 "मुकेश बनाम दुर्गाप्रसाद" में ताकासमा (बंटवारा) का निर्णय दिनांक 15.09.2006 को हो चुका है, जिसकी अपील RAA अलवर द्वारा 11.07.2017 को खारिज कर दी गई, जिससे वह डिक्री अब प्रभाव में है।
3. उक्त डिक्री के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपनी-अपनी आराजीयत पर विधिवत कब्जे में हैं।
4. मौके पर खसरा नं. 799 व 803 के मध्य 8 फुट चौड़ा रास्ता चालू है, जो खसरा नं. 800, 801, 802 तक जाता है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन निर्बाध है।
5. प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 803 पहले से आम रास्ता ख.नं. 798 से लगती हुई है, जिससे उनका आवागमन संभव है।
6. अतः किसी नए रास्ते की आवश्यकता नहीं है और प्रार्थीगण सामलाती भूमि में से रास्ता कायम कराने के अधिकारी नहीं हैं।

न्यायालय का विचार

अदालत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं दोनों पक्षों की मौखिक एवं लिखित बहसों का अवलोकन किया गया।

रिकॉर्ड से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं —

1. भूमि का पूर्व में विधिक बंटवारा (ताकासमा) वाद संख्या 34/2004 में हो चुका है, जिसकी अपील खारिज होकर डिक्री अंतिम रूप से प्रभावी हो चुकी है।
2. उक्त डिक्री में प्रत्येक पक्ष को उनके हिस्से की आराजी आवंटित की गई थी, और मौके पर उसी के अनुसार कब्जा है।
3. अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं स्थल विवरण से यह स्पष्ट है कि खसरा नं. 799 व 803 के मध्य से होकर लगभग 8 फुट चौड़ा रास्ता ख.नं. 800, 801, 802 तक जाता है, जिससे प्रार्थीगण की आवागमन की सुविधा बनी हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

4. प्रार्थीगण का खेत ख.नं. 803 पहले से आम रास्ता ख.नं. 798 से लगा हुआ है।
5. प्रार्थीगण सामलाती आराजी में से रास्ता धारा 251A या 212 के तहत नहीं ले सकते, क्योंकि यह प्रावधान केवल दिगर काश्तकार की आराजी के लिए लागू है।
6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कोई prima facie ऐसा अधिकार नहीं बनता जिससे अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सके।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और वर्तमान में कोई वास्तविक रुकावट नहीं है।

निष्कर्ष

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप अधिकारहीन, निराधार एवं काबिल खारिज प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा देने योग्य कोई औचित्य नहीं पाया जाता।

आदेश

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है आराजी खसरा नम्बर 799, 800, 801, 802 वाके ग्राम गाधीनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0